

बिहार सरकार
विधि विभाग

फैक्स

प्रेषक,

अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,
सिवान ।

पटना, दिनांक..... 04-09-15

विषय:- सिवान जिला के लिए अपर लोक अभियोजको की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-116-i/विधि दिनांक-31.08.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को सिवान जिला के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्ति करते हुए नया पैनल गठित की कृपा की है :-

क्रम सं०	अधिवक्ताओं का नाम	पंजीयन संख्या
1.	श्री नरेश कुमार सिंह	356/78
2.	श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव	6185/99
3.	श्री अनिल कुमार पाठक	6497/99
4.	श्री अनुप कुमार सिंह	650/2004
5.	श्री रघुवर सिंह	1061/80
6.	श्री कपिल देव यादव	90/70
7.	श्री तारकेश्वर प्रसाद	1133/2000
8.	श्री रविन्द्र नाथ शर्मा	113/92
9.	श्री सुदामा ठाकुर	1319/90
10.	श्री सत्यदेव बैठा	1461/2002
11.	श्री मो० याहिया खाँ	2086/99
12.	श्रीमती राजकुमारी गुप्ता	453/74
13.	श्री अक्षय लाल यादव	1062/88

2. उक्त पैनल की कालावधि तीन वर्षों की होगी। अतएव अनुरोध है कि तीन वर्षों की अवधि पूरा होने के चार माह पूर्व ही नये पैनल का पूर्णगठन करा लिया जाय।

3. इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् पुराना पैनल स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त पैनल अधिवक्ता के सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही देय होगा। तथा एक दिवसीय कार्य करने के लिए एक ही दैनिक शुल्क देय होगा।

4. इस शर्त के साथ की गई है कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी से अपर लोक अभियोजक के सभी शेष 12 पदों पर सामान्य प्रोन्नति होने की तिथि से नीचे से क्रमशः क्रमांक-13 पर नियुक्त अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

विश्वासभाजन

(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:-...../जे०, पटना, दिनांक:-..... 04-09-15

प्रतिलिपि:-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:-...../जे०, पटना, दिनांक:-..... 04-09-15

प्रतिलिपि:-माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।